मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462 004

क्रमांक एम. 19-180/1999/1/4 भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर, 1999.

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश.

विषय :—अवैध गतिविधि जांच आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही.

अवैध गतिविधि जाँच आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अनेक अनुशंसायें की हैं. उनमें से एक अनुशंसा निम्नानुसार है:—

''राजनीतिज्ञों एवं शासकीय पदाधिकारियों को स्वयं एक आचरण संहिता विकसित करनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यों से किसी भी प्रकार यह संदेह उत्पन्न नहीं हो कि अपराधिक तत्वों को उनके द्वारा संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है. सामान्य नागरिक के रूप में भले ही राजनीतिज्ञों एवं शासकीय पदाधिकारियों को किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थित रहने की स्वतंत्रता हो परन्तु लोक पदाधिकारी के रूप में उनका यह दायित्व है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए कि वे संदिग्ध आचरण वाले व्यक्तियों व अपराधियों द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार सम्बद्ध नहीं है. पुलिस की स्थानीय गुप्तचर शाखा द्वारा ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है. लोक पदाधिकारी स्वयं के हित में किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के पूर्व स्थानीय पुलिस की गुप्तचर शाखा से अनापत्ति प्राप्त कर आलोचना से एवं अपराधिक व्यक्तियों से सम्बद्ध होने के आरोप से बच सका है''.

2. उक्त अनुशंसा/निषकर्ष पर राज्य शासन ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया है :—

''प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं लोक पदाधिकारियों को आयोग की अनुशंसा के अनुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा जाय. पुलिस महानिदेशक के निर्देश दिए जाए कि समारोह आयोजित करने वाले व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त जानकारी एकत्रित करें एवं राजनीतिज्ञों एवं लोक पदाधिकारियों द्वारा चाहे जाने पर उन्हें तत्समय उपलब्ध कराई जाए''.

3. उपरोक्त अनुशंसा एवं संकल्प के संबंध में यह अपेक्षा की जाती है कि संदिग्ध आचरण वाले व्यक्तियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमो एवं समारोहों की पर्याप्त जानकारी एकत्रित की जावे तथा राजनीतिज्ञों एवं लोक पदाधिकारियों द्वारा चाहे जाने पर उन्हें तत्समय उपलब्ध कराई जाए ताकि राजनीतिज्ञ एवं लोक पदाधिकारी अपराधिक/संदिग्ध आचरण वाले व्यक्तियों से सम्बद्ध होने के आरोप/ आलोचना से बच सके.

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-

(गोपाल शरण शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.